

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 266
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

झारखंड में न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण

266. # श्री दीपक प्रकाश :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण की कोई योजना है, यदि हां, तो झारखंड राज्य के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार न्यायपालिका के कम्प्यूटरीकरण के मामले में न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए पहल करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) झारखंड राज्य में न्यायपालिका के कम्प्यूटरीकरण के लिए आबंटित बजट का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरें रीजीजू)**

(क) : जी, हाँ । सरकार ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए देश में ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना प्रारंभ किया है। ई-न्यायालय का पहला चरण 2015 में संपन्न हुआ था। परियोजना का दूसरा चरण 2015 में शुरू हुआ था, जिसके अधीन अब तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत झारखंड के 447 न्यायालय भी हैं।

(ख) : न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उन्हें न्यायालयीय डिजिटलीकरण पहल से परिचित कराने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों, न्यायालय के कर्मचारियों, न्यायाधीशों/डीएसए के बीच मास्टर प्रशिक्षकों, उच्च न्यायालयों के तकनीकी कर्मचारी और अधिवक्ता सहित लगभग 3,02,614 पणधारियों को सम्मिलित करते हुए ई-न्यायालय परियोजना के अधीन प्रदान की गई आईसीटी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय में 25 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, जिन्होंने देश भर में पहले ही 5409 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। इन 5409 मास्टर प्रशिक्षकों ने देश के प्रत्येक जिले में ई-न्यायालय सेवाओं और ई-फाइलिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया है।

जागरूकता अभियान के भाग के रूप में, ई-न्यायालय सेवाओं के नाम पर एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है जहां पणधारियों के लिए बड़े पैमाने पर पहुंच के लिए ई-फाइलिंग पर वीडियो

ट्यूटोरियल उपलब्ध कराए गए हैं। वकीलों के उपयोग के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर "ई-फाइलिंग के लिए रजिस्ट्रीकरण कैसे करें" पर अंग्रेजी और हिंदी में एक विवरणिका उपलब्ध कराई गई है। इसे 12 प्रादेशिक भाषाओं में भी जारी किया गया है। ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय ने ई-न्यायालय सर्विसेज मोबाइल एप्लिकेशन के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल जारी किया है और इसे 14 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, असमिया, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में ई-समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया है।

(ग) : ई-न्यायालय चरण II के अधीन झारखंड उच्च न्यायालय को आबंटित निधियों का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए में)
2015-16	3.20
2016-17	5.09
2017-18	2.92
2018-19	4.53
2019-20	5.53
2020-21	2.98
कुल	24.25
